

कार्यालय उप परिवहन आयुक्त
बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्रांक: 591 /सा0प्र0 / परिक्षेत्र/2019

दिनांक: 01-04-2019

सेवा में,

- 1- संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन)
बरेली एवं मुरादाबाद।
- 2- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन)
बरेली परिक्षेत्र।

विषय: अधिसूचना संख्या:04/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010 दिनांक 26.02.2019 का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-88(शा0)सा0प्रशा0/2019-306टीआर/2013 लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो सीधे अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी संबोधित है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-125 में यथाविनिष्ट विभिन्न प्रकार की फीसों के संबंध में किये गये संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबिसवां संशोधन) नियमावली, 2019 की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन कर यथा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 सोनकिया)

उप परिवहन आयुक्त
बरेली परिक्षेत्र बरेली।

ई-मेल/पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:88(शा0)सा0प्रशा0/2019-306टीआर/2013, लखनऊ दिनांक: 27 फरवरी, 2019

- 1- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन), उ0प्र0।
- 3- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

विषय:- अधिसूचना संख्या: 04/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010 दिनांक 26.02.2019 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-125 में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार का फीसों के सम्बन्ध में किये गये संशोधन सम्बन्धी उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबिसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस स्तर पर प्राप्त हुयी है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 विक्रम सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0संख्या: 88 (शा0-1)सा0प्रशा0/2019-समदिनांकित।

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त महोदय के अतिरिक्त) मुख्यालय।
- 4- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5- श्री सुधांशु सक्सेना, साईटिस्ट, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तदनुसार साफ्टवेयर में व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- 6- प्रभारी, परिवहन आयुक्त, कैम्प कार्यालय।
- 7- डी0वी0ए0 (आऊट सोर्सिंग), मुख्यालय।
- 8- गार्ड फाईल।

(डा0 विक्रम सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

AAO

Pl. see and
put up a note

उ.प्र. मोटरयान नियमावली 1989 के नियम
125 के संशोधन-संबन्धी संशोधन किया गया है
अतः परिक्षेत्र के सभी नामलिपि के संशोधन
करना चाहिये।

संख्या-4(1)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-4(2)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 26 फरवरी, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनिघम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय/परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-4(3)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित अधिसूचना की पेपर कटिंग शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसाद मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 7- विधायी अनुभाग-1
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.un.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:88(शा0)सा0प्रशा0/2019-306टीआर/2013, लखनऊ दिनांक: 27 फरवरी, 2019

- 1- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र),उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी /संभागीय परिवहन अधिकारी,(प्रवर्तन),उ0प्र0।
- 3- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन),उत्तर प्रदेश।

विषय:- अधिसूचना संख्या: 04/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010 दिनांक 26.02.2019 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1989 के नियम-125 में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार का फीसों के सम्बन्ध में किये गये संशोधन सम्बन्धी उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबिसवाँ संशोधन) नियमावली,2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस स्तर पर प्राप्त हुयी है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 विक्रम सिंह)

उप परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पू0संख्या: 88 (शा0-1)सा0प्रशा0/2019-समदिनांकित।

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना दिनांक 26.02.2019 सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त महोदय के अतिरिक्त) मुख्यालय।
- 4- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5- श्री सुधांशु सक्सेना, साईटिस्ट, एन0आई0सी0,योजना भवन,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तदनुसार साफ्टवेयर में व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- 6- प्रभारी, परिवहन आयुक्त, कैम्प कार्यालय।
- 7- डी0बी0ए0 (आऊट सोर्सिंग), मुख्यालय।
- 8- गार्ड फाईल।

(डा0 विक्रम सिंह)

उप परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

88 (अपु सारणी 2019)

27-2-19

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010
लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 96 की उपधारा(2) के खण्ड (लेईस) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-45/1040 /2018/तीस-4-2018-4(02)/2010, दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा गजट में पूर्व में प्रकाशित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संश्लेषण और
प्रारम्भ

नियम-125 का
संशोधन

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जाएगी;
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में, नियम-125 में, नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी सारणी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी सारणी रख दी जायेगी अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान सारणी				स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित सारणी			
क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम	क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64	1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64
	(क) मोटर कैब	500.00			(क) मोटर कैब (बाइक टैक्सी)	500.00	
	(ख) ओमनी बस या माल वाहन	1000.00			(ख) मोटर कैब	600.00	
					(ग) ओमनी बस या माल वाहन	1200.00	
2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-			2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-		
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82		(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82
	(एक) मंजिली गाड़ी के लिए	6000.00			(एक) मंजिली गाड़ी के लिए	7500.00	
	(दो) माल वाहन के लिए	6000.00			(दो) माल वाहन के लिए	7500.00	
	(तीन) मोटर टैक्सी और बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	7500.00			(तीन) मोटर टैक्सी और बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	9000.00	

- यह शासनार्थक इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनार्थक की प्रमाणीकता के मास्ट <http://shasanadesh.up.nic.in> में स्थापित की जा सकती है।

					लिए		
	(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	3750.00			(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	4500.00	
	(पांच) बड़ी टैक्सी के लिए-				(पांच) बड़ी टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	3000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	3750.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	5000.00	
	(छः) मोटर टैक्सी के लिए-				(छः) मोटर टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	1000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	2000.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	3000.00	
	(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	2000.00			(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	3000.00	
	(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	3200.00			(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	5000.00	
					(सात) मोटर कैब (बाइक टैक्सी)		
					(क) एक सम्भाग के लिए	750.00	
					(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	1500.00	
	(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75		(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75
	(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	375.00			(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	450.00	
	(दो) तीन दिनों के बाद सप्ताह के अंत तक	375.00			(दो) तीन दिनों के बाद सप्ताह के अंत तक	450.00	
	(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	375.00			(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	450.00	
3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए फीस	225.00	84	3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए आवेदन फीस	270.00	84
4	परमिट के अन्तरण के लिए		87	4	परमिट के अन्तरण के लिए		87
	(एक) मंजिली गाड़ी के लिए	7500.00			(एक) मंजिली गाड़ी के लिए	9000.00	
	(दो) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	7500.00			(दो) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	9000.00	
	(तीन) माल वाहन की	625.00			(तीन) माल वाहन के	750.00	

- 1- यह शासनानुदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनानुदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से मंगवाये जाने के लिए की जा सकती है।

	(चार) बड़ी टैक्सी	250.00			लिए		
	(पांच) मोटर टैक्सी,	250.00			(चार) बड़ी टैक्सी के लिए	300.00	
	(छः) परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।			(पांच) मोटर टैक्सी के लिए	300.00	
					(छः) परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।	
5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	125.00	88	5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	स्वीकृत परमिट फीस का आधा	88
6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए		91	6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए		91
	(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	625.00			(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	750.00	
	(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1250.00			(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1500.00	
7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रु०	91	7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रु०	91
8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रु० प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93	8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रु० प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93
9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 15.00 रु० प्रति घण्टा।	95	9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 20.00 रु० प्रति घण्टा।	95

13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेश स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 10.00 रु० प्रति नकल	123	13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेश स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 15.00 रु० प्रति नकल	123
14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने हेतु आवेदन के लिए।	125.00	124	14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने हेतु आवेदन के लिए।	150.00	124
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने आदि के लिए।		124	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिए।			124
	(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	250.00		(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	300.00		
	(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	250.00		(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	300.00		
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	60.00		(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	80.00		
	(ग),(एक) बैज जारी करने के लिए	125.00		(ग),(एक) बैज जारी करने के लिए	150.00		
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	250.00		(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	300.00		

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

1. यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनदेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से मत्यापित की जा सकती है।

10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	65.00	106	10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	80.00	106
11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115, 116	11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115, 116
	(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1250.00			(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1500.00	
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	950.00			(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1140.00	
	(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-				(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1250.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-				(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1800.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए				(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	125.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	150.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	100.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	120.00	
12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए	250.00	122	12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए	300.00	122

- 1- यह शासनआदेश इलेक्ट्रॉनिकता जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनआदेश की प्रमाणांकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> में सत्यापित की जा सकती है।